अवैध रेत खनन

चर्चा में क्यों?

सर्वोच्च न्यायालय ने **केंद्र और राजस्थान सरकार को नोटिस जारी कर** राज्य में व्यापक स्तर पर अवैध नदी रेत खनन और परिवहन संबंधी आरोपों पर **स्पष्टीकरण प्रस्तुत करने** का निर्देश दिया।

मुख्य बिंदु

- **रेत खनन के बारे में:**
  - रेत खनन का अर्थ **प्राकृतिक बालू और उसके स्रोतों** (खनिज युक्त बालू तथा एग्रीगेट्स सहित) को **प्राकृतिक पर्यावरण** (स्थलीय, नदीय, तटीय या समुद्री) से निकालने की प्रक्रिया से है, जिसका उपयोग **खनिज, धातु, क्रश्ड स्टोन, रेत और बजरी प्राप्त करने** में किया जाता है।
  - **अवैध नदी रेत खनन** से तात्पर्य **नदी तल, तटों और बाढ़क्षेत्रों** से अनधिकृत एवं अनियमित निष्कर्षण से है।
- **रेत का स्रोत:**
  - भारत में रेत के प्राथमिक स्रोतों में नदी बाढ़ के मैदान, **तटीय रेत**, **पैलियो-चैनल रेत** तथा **कृषि क्षेत्रों से प्राप्त रेत** शामिल हैं।
- **अवैध रेत खनन में योगदान देने वाले कारक:**
  - **विनियमन का अभाव** और **कमज़ोर प्रवर्तन** अनियंत्रित अवैध रेत खनन को बढ़ावा देता है।
  - शहरीकरण और जनसंख्या वृद्धि के कारण निर्माण उद्योग की उच्च माँग से नदी-तल तथा तटीय क्षेत्रों पर दबाव बढ़ रहा है।
  - भ्रष्टाचार और **रेत माफिया का प्रभाव**, अधिकारियों की मिलीभगत के साथ, अवैध खनन गतिविधियों को बनाए रखता है
  - **स्थायी विकल्पों का अभाव:** निर्मित रेत (एम-रेत) का सीमित उपयोग तथा पर्यावरण-अनुकूल विकल्पों के अपर्याप्त प्रचार से नदी-तल की रेत पर निर्भरता बढ़ जाती है।
- **रेत खनन के प्रभाव:**
  - **कटाव और आवास विघटन:** अनियमित रेत खनन से **नदी तल बदल जाता** है, जिससे कटाव बढ़ जाता है, चैनल आकारिकी में बदलाव होता है और **जलीय आवासों में व्यवधान** होता है।
  - **बाढ़ और अवसादन:** रेत की कमी से बाढ़ का जोखिम बढ़ता है, अवसाद का भार बढ़ता है तथा **प्रवाह-पैटर्न में परिवर्तन** होता है, जिससे जलीय पारिस्थितिकी तंत्र को हानि पहुँचती है।
  - **भूजल ह्रास: गहरे गड्ढों के निर्माण से भूजल स्तर नीचे चला जाता है**, जिससे पेयजल कुओं पर प्रभाव पड़ता है और जल-संकट की स्थिति उत्पन्न होती है।
  - **जैवविविधता की हानि:** इससे जलीय और तटीय प्रजातियों की क्षति होती है तथा इसका प्रभाव **मैंग्रोव वनों** तक व्याप्त हो जाता है।
- **रेत खनन से संबंधित विनियम:**
  - **खनिज एवं खनिज (विकास और विनियमन) अधिनियम, 1957 (MMDR Act, 1957):** इस अधिनियम के अंतर्गत रेत को लघु खनिज (Minor Mineral) के रूप में वर्गीकृत किया गया है तथा इसकी प्रशासनिक ज़िम्मेदारी राज्य सरकारों को सौंपी गई है।
  - **सस्टेनेबल सैंड माइनिंग मैनेजमेंट (SSMG) दिशा-निर्देश, 2016:** पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय (MoEFCC) ने वर्ष 2016 में इन दिशा-निर्देशों को जारी किया, जिनका उद्देश्य **वैज्ञानिक एवं पर्यावरण-अनुकूल रेत खनन पद्धतियों** को बढ़ावा देना है।
  - **पर्यावरण प्रभाव आकलन (EIA):** भारत के सर्वोच्च न्यायालय ने आदेश दिया है कि सभी रेत खनन गतिविधियों के लिये, यहाँ तक कि 5 हेक्टेयर से छोटे क्षेत्रों में भी, पूर्व अनुमोदन आवश्यक है।

PDF Refernece URL: https://www.drishtiias.com/hindi/printpdf/illegal-sand-mining-5